

KRISHANA PHOSCHEM LIMITED

Regd. Off.: 5-O-20, Basement, R.C. Vyas Colony, Bhilwara, 311001 Rajasthan

CIN: L24124RJ2004PLC019288,

Website- www.krishnaphoschem.com, Email- secretarial@krishnaphoschem.com Ph.: 01482-237104, Fax: 01482-239638

NOTICE

Notice is hereby given that Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company will be held at 2:30 P.M. on Monday, July 13, 2020 at Registered Office at 5-O-20, Basement, R.C. Vyas Colony, Bhilwara to inter-alia consider and approve the audited financial results along with the Auditor report of the Company for the Quarter and Year ended March 31, 2020.

The Notice of meeting is also available on the website at <http://www.krishnaphoschem.com> and on the Stock Exchange websites at <http://www.nseindia.com>.

By Order of the Board of Directors
For Krishana Phoschem Limited

Sd/-

(Priyanka Bansal)

Company Secretary

Place: Bhilwara

Dated: 09/07/2020



Nippon India Mutual Fund

Wealth

Nippon Life India Asset Management

(Formerly known as Reliance Nippon India)

(CIN - L65910)

Registered Office: 4th Floor, Tower A, Peninsula Business Centre,
Mumbai - 400 013. Tel No. +91 022 6808 7000

RACL Geartech Limited

CIN : L34300DL1983PLC016136

Regd. Office: 15th Floor, Eros Corporate Tower, Nehru Place, New Delhi - 110019

Phones: +91-11-66155129, +91-120-4588500 | Fax No.: +91-120-4588513

E-Mail: info@raclgeartech.com | Website: www.raclgeartech.com

NOTICE FOR THE LOSS OF SHARE CERTIFICATES

NOTICE is hereby given that following share certificate(s) issued by the Company are stated to be lost/ misplaced and the registered holder thereof have applied to the Company for issue of duplicate share certificates:

Folio No.	Name of the Shareholder	Share Certificate(s) No.	Distinctive Numbers		No. of Shares
			From	To	
10004	Rajesh Kumar	13005	1303600	1303703	100

DIVIDEND DECLARATION

Notice is hereby given that the Trustee of Nippon India Mutual Fund has declared a dividend of Rs. 10/- per unit in the undermentioned scheme(s):

Name of the Scheme(s)

Nippon India Interval Fund - Annual Series I - Retail Plan - Dividend Option

Fri, 10 July 2020

<https://epaper.financialexpress.com/c/53361483>

FINANCIAL EXPRESS
READ TO LEAD



की संभावना है। आने वाले समय में लोग रेस्तरां में जाकर भोजन करने की बजाय घर ही मंगवाना पसंद करेंगे। इस तरह ऑनलाइन

कैपिटलाइज करें तो आने वाले दो-तीन क्वार्टर्स में हम एक डिफरेंट लेवल पर होंगे। उनका अनुभव है कि लॉकडाउन के दौरान

कमजोर पड़ेगी, क्योंकि बाहर से जो भोजन मंगवाया जाता है, उसमें सरटेन फ्लेवर होता है, जो घर में बनने वाले भोजन में नहीं होता।

10 में से 7 भारतीय वलाइमेट चेंट के प्रभाव को लेकर चिंतित

नई दिल्ली/एजेसी। आईएनएस सीवोटर जीएमआरए हैप्पीनेस ट्रेकर को भारतीयों की खुशी जानने के लिए विकसित किया जा रहा है। किए गए सर्वे में कुछ रुचिकर तथ्य निकल कर सामने आए हैं। जलवायु और पर्यावरण संबंधी मामलों में, लगभग आधे से ज्यादा लोग इस सवाल पर सहमति जताते हैं कि क्या जलवायु और पर्यावरणीय मुद्दे आपके भविष्य को लेकर आपको डराते हैं। सर्वे में लिंग आधारित अंतर स्पष्ट रूप से दिखा, जिसमें 59.5 प्रतिशत महिलाओं का मजबूती के साथ यह मानना था कि वह अपने भविष्य पर जलवायु बदलाव और पर्यावरणीय मुद्दों के पड़ने वाले प्रभाव को लेकर डरी हुई हैं। जबकि केवल 47.5 प्रतिशत पुरुष उत्तरदाताओं को ऐसा मानना था। जैसा कि अनुमान था, पीढ़ीगत अंतर भी इस सर्वे में देखने को मिला। केवल 36.7 प्रतिशत उम्रदराज (60 वर्ष या इससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिक) ही इस बात से सहमत थे कि वे अपने भविष्य में पर्यावरणीय बदलाव को लेकर डरे हुए हैं। जबकि इस सर्वे में 58.4 प्रतिशत युवाओं 24-45 उम्र ने इस बात पर सहमति जताई कि वे इस बाबत डरे हुए हैं। वहीं 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के कुल 19 प्रतिशत लोग अपने भविष्य पर जलवायु

बदलाव के प्रभाव को पूरी तरह नकारते हैं, जबकि 24 से 45 वर्ष के आयु समूह के 12.5 प्रतिशत लोगों ने पूरी तरह से सहमति जताई कि वे जलवायु बदलावों के पड़ने वाले प्रभावों को लेकर चिंतित नहीं हैं। जब उत्तरदाताओं के शैक्षणिक समूह का विश्लेषण किया गया तो, पाया गया कि 48.4 प्रतिशत निचले शैक्षणिक समूह के लोगों का मजबूती से मानना था कि वे पर्यावरणीय बदलाव का खुद के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर डरे हुए हैं।

SAMSUNG

महली मेक इन इन्डिया आई है - आईएनएस

NATIONAL AGRICULTURAL COOPERATIVE MARKETING FEDERATION OF INDIA LTD.
3rd Floor, Nehru Sahkar Bhawan, Bhawani Singh Road,
JAIPUR-302001, Tel: +91-141-2740796, 2740145
E-mail : nafjpr@nafed-india.com Website: www.nafed-india.com

NOTICE

"NAFED Jaipur is commencing the sale of Mustard Seed procured under PSS during Rabi-2019 laying in various warehouses in the state of Rajasthan form 10-07-2020 through e-Auction platform empanelled by NAFED. Interested buyers may visit NAFED's website www.nafed-india.com/tenders for the locations and sale procedure".
Branch Manager

कृष्णा फोस्केम लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय 5-ओ-20, बेसमेंट, आर.सी. व्यास कॉलेजी भीलवाड़ा - 311001, राजस्थान
सी.ई.ई.ए. - L24124RJ2004PLC019288
फोन नं. - 01482-237104, फैक्स नं. - 01482-233638 ईमेल : secretarial@krishnaphoschem.com वेबसाइट : www.krishnaphoschem.com

सूचना

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेगुलेशन की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 के विनियम 29 एवं विनियम 47 के अनुसार, एलएचयु चयित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक सोमवार, 13 जुलाई, 2020 को, दिवस 2.30 बजे, पंजीकृत कार्यालय 5-ओ-20, बेसमेंट, आर.सी. व्यास कॉलेजी, भीलवाड़ा में आयोजित की जाएगी, जिसमें उच्च विषयों के साथ 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही/ वार्षिक के लिए कंपनी की उद्घोषित वित्तीय परिणामों एवं ऑडिटर रिपोर्ट पर विचार एवं अनुमोदन करने हेतु आयोजित की जाएगी।
उक्त सूचना कंपनी की वेबसाइट <http://www.krishnaphoschem.com> और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट <http://www.nseindia.com> पर भी उपलब्ध है।

निर्देशक मंडल के अदेश द्वारा चयित कृष्णा फोस्केम लिमिटेड
हस्ताक्षरित /
प्रियंका बंसल
कंपनी सचिव

स्थान-भीलवाड़ा
दिनांक-09-07-2020

सोने की स्मगलिंग ?

सुरेंद्र मेहता ने आईएनएस को बताया कि आसानी से पैसे बनाने की लालच में लोग सोने की तस्करी करते हैं और इस काम में इंडस्ट्री के बाहर के लोग शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि सोने पर भारत में 12.5 फीसदी आयात शुल्क लगता है जोकि तस्करी की एक बड़ी वजह है। भारत में सोने पर तीन फीसदी जीएसटी भी लगता है। कारोबारी बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद होने से तस्करी बिल्कुल बंद हो गई थी। केडिया एडवायजरी के डायरेक्टर अजय केडिया ने बताया कि दुबई से आने वाला

सोना प्रीमियम क्वालिटी का होने के कारण उसकी मांग अच्छी होती है। वहीं, सोने का मूल्य ज्यादा होने से छोटे परिमाण से भी अच्छी कमाई हो जाती है, इसलिए सोने की तस्करी के प्रति तस्करों की दिलचस्पी ज्यादा होती है। हाल ही में त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे पर राजनयिक सामान से 30 किलो सोना जब्त किया गया जिससे सोने की तस्करी में बड़े गिरोह के शामिल होने के संकेत मिलते हैं। तस्कर गिरोह की मुख्य संदिग्ध स्वप्ना के बारे में बताया जाता है वह प्रदेश की वाम लोकतांत्रिक मोर्चा की सरकार की करीबी है।

राजस्थान आवासन मण्डल
RAJASTHAN HOUSING BOARD
(A State Government Enterprise Constituted Under RHB Act 1970)
क्रमांक आई/भील/2020-21/188 दिनांक 08-07-2020
-जाहिर आम सूचना-

आवास संख्या 1-ई-15 शास्त्री नगर योजना शहर भीलवाड़ा जो मूल आवंटनी श्री दिलीप कुमार तुलसानी पुत्र स्व. श्री तोलाराम तुलसानी को सामान्य पंजीकरण योजना-1979 के अन्तर्गत आवंटित किया गया। आवास का आवंटन पत्र क्रमांक 5080 दिनांक 27.06.1983 के द्वारा जारी कर दिनांक 19.09.1983 को आवास का भौतिक कब्जा सुपूर्द किया गया तथा मकान की समस्त राशि जमा होने के पश्चात पत्र क्रमांक 4002 दिनांक 24.03.2001 के द्वारा अदेय प्रमाण पत्र जारी किया गया। श्री दिलीप कुमार तुलसानी पुत्र स्व. श्री तोलाराम तुलसानी के पक्ष में कार्यालय पत्र क्रमांक 4171 दिनांक 31.03.2001 के माध्यम से आवास के पंजीयन हेतु पंजीयन प्रपत्र जारी किये गये। जिसे आवंटनी के दिनांक 31.03.2001 को उप पंजीयक कार्यालय भीलवाड़ा में पंजीयन करवा लिये थे। इस प्रकार हाल रिखाई उक्त आवास श्री दिलीप कुमार तुलसानी पुत्र स्व. श्री तोलाराम तुलसानी के नाम है।
इसके पश्चात उक्त आवास जरिये रजिस्टर्ड बक्षीस पत्र दिनांक 18.07.2014 को श्री दिलीप कुमार तुलसानी पुत्र स्व. श्री तोलाराम तुलसानी द्वारा श्री भोजराम तुलसानी पुत्र स्व. श्री तोलाराम तुलसानी को बक्षीस किया गया।
अब अंतिम क्रंता तुलसानी पुत्र स्व. श्री तोलाराम तुलसानी द्वारा आवास नामान्तरण हेतु शुल्क राशि रु.5900/- दिनांक 02.07.2020 को जमा करवाकर उक्त आवास से संबंधित विक्रय चैनल प्रस्तुत कर स्वयं के नाम दोहरा पंजीयन उपपत्र नाम हस्तांतरण/ नामान्तरण करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जिसकी मण्डल रिखाई में प्रतिस्थापन की कार्यवाही विचारार्थ है।
अतः उक्त कार्यवाही से किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस जाहिर आम सूचना की विक्रय के प्रकाशन के 10 दिवस में अपनी उजरदार/ आपत्ति मय सबूत एवं पहचान के दस्तावेज के साथ इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद मियाद गुजरने पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी, नाम प्रतिस्थापन की अंतिम कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

आवासीय अधिपत्या-राजस्थान आवासन मण्डल, उमरग भीलवाड़ा